


डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेज जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
वि.पू.भु. भोपाल-02-06.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 फरवरी 2006—माघ 12, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2006

क्र. 767-49-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 जनवरी, 2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश पंड्या, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ४ सन् २००६

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००५.

[दिनांक ३० जनवरी, २००६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ फरवरी, २००६ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००५ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८९ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ की उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द '२० पैसा' के स्थान पर, अंक तथा शब्द '१० पैसा' स्थापित किये जायें.

भोपाल, दिनांक १ फरवरी २००६

क्र. ७६८-४९-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००५ (क्रमांक ४ सन् २००६) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश पंड्या, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2006

THE MADHYA PRADESH UPKAR (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005.

[Received the assent of the Governor on the 30th January, 2006; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 1st February, 2006.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

Amendment of
Section 3.

2. In sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), for the figure and word "20 paise" the figure and word "10 paise" shall be substituted.